

(2) Overcrowding in prisons, especially with reference to undertrial prisoners, should be given priority consideration and appropriate steps should be taken in this regard to reduce the number of undertrials.

(3) Efforts should be made to provide purposeful occupation to undertrials.

(4) State level committees of Jail Visitors should be constituted where they do not exist.

(5) The working of District level and State level review committees should be activated so as to identify reasons for delay in investigation or trial. The committees at the District level and the State level should meet at least once in three months and six months respectively to review the hard cases and to find out possible ways to help the undertrials.

(6) Law officers should be attached to jails on whole time or part time basis to enable undertrials to contest their cases properly.

(7) Separate arrangements in Camp Jails etc., could be made with lesser security arrangements for prisoners who court arrest in large number during agitations.

(8) The capacity of Borstal institutions should be augmented.

(9) Living conditions should be improved to the maximum extent possible within the State resources and the funds allocated by the Central Government.

(10) Jail staff should be given proper training and orientation.

एच० एम० टी बड़ियों की बिकी के लिए एजेंसियां

7573. श्री रामकृष्ण सुब्बराई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में एच०एम०टी० बड़ियों की बिकी के लिए देश के विभिन्न भागों में एजेंसियां देने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये गये थे ;

(ख) राज्य बार कितनी एजेंसियां दी गईं ; और "

(ग) उनमें से कितनी एजेंसियां प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों और भादिवायियों को दी गईं और उन स्थानों का नाम क्या है जहां ये एजेंसियां दी गई हैं और उनके नाम और पतों का राज्य बार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती प्रमोद माहलि) : (क) जी हा । एच०एम०टी० बड़ियों की बिकी के लिए अधिभूत स्टार्किस्टो और अधिभूत नव एजेंटो हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे ।

(ख) नियुक्त किए गए अधिभूत स्टार्किस्टों की राज्यवार संख्या नीचे दी जाती है —

राज्य	संख्या
1. बिहार	4
2. उत्तर प्रदेश	11
3. हरियाणा	4
4. पंजाब [.	2
5. राजस्थान	7
6. हिमाचल प्रदेश	1
7. जम्मू और काश्मीर	1
8. पश्चिम बंगाल	7
9. गोवा	1
10. भूटान	1
11. उड़ीसा	3
12. आसाम	4
13. उत्तर पूर्वी राज्य	4

(ग) वित्तीय तथा तकनीकी क्षमताओं और ब्राह्मको को सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुभव के अनुसार तथा एच० एम० टी० बड़ियों की कुल खरीद के लिए आश्वासन देने पर नियुक्तियों की गई हैं । इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों तथा भादिवासियों को उनका इन समुदायों से संबंध रखने के कारण एजेंसी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है और इस तरह एच० एम० टी० ने इनके बारे में कोई भांके इकट्ठे नहीं किए हैं ।

Launching a special Campaign for Rural Industrialisation

7574. SHRI AMARSINH V. RA-THAW: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state: